न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :–326/2021

जगदीशप्रसाद पुत्र नारायणराम जाति बावरी साकिन मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. नारायणराम	पुत्र रतीराम	जाति बावरी
2. मदन	पिसरान	साकिन मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा
3. जयपाल	नारायणराम	जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जसपाल सिंह दहिया —— प्रार्थीगण
2. श्री महेन्द्र सैन —— अप्रार्थी सं. 1 ता 3
3. राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा। ——अप्रार्थी संख्या 4

–:: निर्णय :–

दिनांकः– 30/06/2025

अधिवक्ता प्रार्थी श्री जसपाल सिंह दहिया द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका हैं जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। यह कि जहां तक प्रार्थना पत्र हाजा का सम्बंध है सजरा खानदान पक्षकारान प्रस्तुत किया गया है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 बीआरपी (भाखंड़ा) के खाता सं. 47/40 के प.नं. 12/360 (30) किला नं. 4/1, 4/2, 7, 14, 17, 24 की 1,265 हैक, नाली प्रथम भय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 बीआरपी (भाखंड़ा) के खाता सं. 138/88 के प.नं. 12/359 (19) किला नं. 6, 15, 16, 25 की 1.012 हैक. नाली प्रथम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जो अप्रार्थी सं.1 को प्रार्थी के दादा रतीराम ने जब अप्रार्थी सं.1 की उम्र करीब 10 वर्ष थी तब खरीदकर अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज करवाई थी। प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.1 को अपने पिता रतीराम से विरास्तन प्राप्त हुई है। इस प्रकार दफा 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। उक्त दोनो खातो की कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/7 हिस्सा का हक व हिस्सा बनता है। जिसकी प्रार्थी खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का हकदार है।

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally Signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:10:36 IST
Reason: SelfAttested

यह कि अप्रार्थी सं.1 की शादी पूर्व में जैता देवी के साथ हुई थी जिसके नुत्फे से प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादी सं. 5, 6 व 7 ता 9 की माता कमला पैदा हुए थे। जैता देवी की मृत्यु के बाद अप्रार्थी सं.1 ने दूसरी शादी परमेश्वरी के साथ की जिसके नुत्फे से अप्रार्थी सं. 2, 3 पैदा हुए। दूसरी शादी करने के बाद अप्रार्थी सं.1 ने प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादी सं. 5, 6 व 7 ता 9 की माता कमला को अप्रार्थी सं. 2, 3 के दबाब में आकर घर से निकाल दिया। प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादी सं. 5, 6 व 7 ता 9 की माता कमला को अपने घर में कोई जगह नही दी व ना ही कृषि भूमि में कोई हिस्सा देना चाहता है। अप्रार्थी सं. 1 जो कि अप्रार्थी सं. 2, 3 के नाजायज दबाब में है व उनके दबाब के चलते उक्त कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने पर आमाद है। यदि अप्रार्थी सं.1 ऐसा करता है तो प्रार्थी का हक व हिस्सा खत्म हो जायेगा। प्रार्थी के पास इस कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई कृषि भूमि नही है न ही कृषि के अलावा अन्य कोई आय का साधन है। यदि अप्रार्थी सं.1 अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी व ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी को किसी प्रकार से उसके हक से महरूम नही किया जा सके इन अत्यावश्यक व तात्कालिक परिस्थितियो के दृष्टिगत प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी सं.1 इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर का जारी किया जावे कि अप्रार्थी सं.1 अपने नाम दर्ज कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 बीआरपी (भाखंड़ा) के खाता सं. 47/40 के प.नं. 12/360 (30) किला नं. 4/1, 4/2, 7, 14, 17, 24 की 1.265 हैव. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी व खाता सं. 138/88 के प.नं. 12/359 (19) किला नं. 6, 15, 16, 25 की 1.012 हैक. नाली प्रथम खातेदारी कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया एक पक्षिय बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। जिसपर दिनांक 10.12.2021 से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी शुदा है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री महेन्द्र सैन अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी स. 2 व 3 मदन, जयपाल की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से है कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 के अनुसार उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो जाने की हद तक स्वीकार है लेकिन उक्त प्रकरण में प्रार्थी को कामयाबी होने की कतई कोई आशा नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित सजरा खनदान स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थी स. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है, स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी स. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत है। ... में वर्णित यह कथन भी अस्वीकार है कि दफा 3 प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि ... कृषि भूमि हो, इस सम्बध में यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि ... वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थी स. 1 द्वारा मन्शाराम गंगाराम ... जरिये बैयनामा खरीद की गई और इस कारण उक्त दफा में वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति ना होकर मिन अप्रार्थी स. 1 द्वारा स्वय अर्जित आय से खरीदशुदा सम्पति होने के कारण उसमें प्रार्थी को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है, और ना ही प्रार्थी का उक्त दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थी को दफा 3 प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:00:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

षणा प्राप्त करने का अधिकार नही है और इसी कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है । शेष कथन मनगढंत होने के कारण अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित कथन जिस प्रकार से अंकित किये गये है, असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है, यह कथन स्वीकार है कि मिन अप्रार्थी स. 1 की पूर्व में जैता देंवी से शादी हुई थी और जेता देवी की मृत्यु के पश्चात परमेश्वरी देवी के साथ दूसरी शादी सम्पन हुई थी, और मिन अप्रार्थी स. 1 के प्रार्थी व मिन अप्रार्थीगण पुत्र, पुत्रिया है। उक्त दफा में प्रार्थी द्वारा वर्णित यह कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है, कि मिन अप्रार्थी स. 1 द्वारा दूसरी शादी के करने के पश्चात अप्रार्थी स. 5, 6, व 7 ता 9 की माता कमला को मिन अप्रार्थी स. 2 के दवाब मे आकर घर निकाल दिया हो, इस सम्बध में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है, कि मिन अप्रार्थी स. 1 द्वारा प्रतिवादी स. 5 व 6 को घर से निकाला नही है, अपितू अपनी हैसियत अनुसार दान दहेज देकर उसकी शादी करवाई है, और प्रार्थी द्वारा अपनी स्वंय अर्जित आय से खरीदशुदा कृषि भूमि को बेचान कर अपनी पुत्रियो की शादी की गई थी, एंव परिवार के उत्थान के लिये मिन अप्रार्थी स. 1 द्वारा कृषि भूमि बेचान की गई थी, प्रतिवादी स. 5 व 6 अपने ससुराल में राजीखुशी निवास कर रही है, और अप्रार्थी स. 7 ता 9 अपने पिता के पास निवास कर रहे है, इस कारण उक्त दफा मे प्रार्थी द्वारा वर्णित कथन स्वत ही असत्य व मनगढंत साबित होते है, क्योकि प्रार्थी द्वारा उक्त दफा में यह अंकित किया गया है कि मिन अप्रार्थी स. 1 ने कमला को घर से निकाल दिया, जबकि कमला की मृत्यु हो चुकी है, प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण से रंजीश रखता है, और अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की गर्ज से मिथ्या तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एंव प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण पक्षकारो के कूसंयोजन का दोष रखते हुये काबिल खारिज है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के विरूद्ध किसी भी प्रकार से प्रार्थी के पक्ष में नही है और इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है । अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी स. 1 नारायणराम की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो निम्न प्रकार से हैः– यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 के अनुसार उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो जाने की हद तक स्वीकार है लेकिन उक्त प्रकरण में प्रार्थी को कामयाबी होने की कतई कोई आशा नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित सजरा खनदान स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है, स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है, उक्त दफा में वर्णित यह कथन भी अस्वीकार है कि दफा 3 प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि हो, इस सम्बध में यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि दफा 3 प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थी [illegible] के जरिये बैयनामा खरीद की गई और इस कारण उक्त दफा 3 में वर्णित कृषि [illegible] भूमि पैतृक सम्पति ना होकर मिन अप्रार्थी द्वारा स्वय अर्जि[illegible] कारण उसमें प्रार्थी को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही [illegible] उक्त दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थी को दफा 3 प्रार्थ[illegible]त्र में वर्णित कृषि भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार की घोषणा प्राप्त करने का अधिकार नही है और इसी कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। शेष कथन मनगढंत होने के कारण अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित कथन जिस प्रकार से अंकित किये गये है, असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है, यह कथन स्वीकार है कि मिन अप्रार्थी की पूर्व में जैता देंवी से

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:00:36 IST
Reason: SelfAttested

शादी हुई थी और जेता देवी की मृत्यु के पश्चात परमेश्वरी देवी के साथ दूसरी शादी सम्पन्न हुई थी, और मिन अप्रार्थी के प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण पुत्र, पुत्रिया है।

उक्त दफा में प्रार्थी द्वारा वर्णित यह कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है, कि मिन अप्रार्थी द्वारा दूसरी शादी के करने के पश्चात अप्रार्थी स. 5, 6, व 7 ता 9 की माता कमला को अप्रार्थी स. 2 व 3 के दवाब मे आकर घर निकाल दिया हो, इस सम्बध में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है, कि मिन अप्रार्थी द्वारा प्रतिवादी स. 5 व 6 को घर से निकाला नही है, अपितू अपनी हैसियत अनुसार दान दहेज देकर उसकी शादी करवाई है, और प्रार्थी द्वारा अपनी स्वंय अर्जित आय से खरीदशुदा कृषि भूमि को बेचान कर अपनी पुत्रियो की शादी की गई थी, एंव परिवार के उत्थान के लिये मिन अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि बेचान की गई थी, प्रतिवादी स. 5 व 6 अपने ससुराल में राजीखुशी निवास कर रही है, और अप्रार्थी स. 7 ता 9 अपने पिता के पास निवास कर रहे है, इस कारण उक्त दफा मे प्रार्थी द्वारा वर्णित कथन स्वत ही असत्य व मनगढंत साबित होते है, क्योकि प्रार्थी द्वारा उक्त दफा में यह अंकित किया गया है कि मिन अप्रार्थी ने कमला को घर से निकाल दिया जबकि कमला की मृत्यु हो चुकी है, प्रार्थी मिन अप्रार्थी से रंजीश रखता है, और अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की गर्ज से मिथ्या तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के विरूद्ध किसी भी प्रकार से प्रार्थी के पक्ष में नही है और इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

–::आदेश::–

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ता फैसला दावा तक स्थाई व्ययादेश जारी हेतु निवेदन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 न्यायिक दृष्टांत सिविल अपील 7528 /2019 निर्णय प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्वअर्जित सम्पति होने के कारण प्रार्थी का कोई विधिक अधिकार नहीं है इस लिए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृश्टांतो का अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी इस लिए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रश्नगत रकबा में हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा सकती है स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 10.12.2021 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है। [illegible] नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 30/06/2025 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:00:36 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा